तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमला देवी बनाम भौंरीलाल अपील संख्या जीसीएमएस 2025 / 1591	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.26	अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत तलब किये जाने पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील के विड्रो आदेश फरमाने पेश करने पर पत्रावली आज तलब की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने लोक अदालत की भावना से रेस्पोडेन्ट से राजीनामा कर लिया है तथा अपीलान्ट उक्त अपील में किसी प्रकार का अनुतोष न्यायालय श्रीमान् से नही चाहती है। इसलिये अपीलान्ट उक्त अपील को विड्रो कर रही है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील विड्रो करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अपीलार्थीया स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाह रही है, तो ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील को अब आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया द्वारा अपनी अपील को विड्रो कर लिये जाने के कारण अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (वे.सरवण कुमार) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	